न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 27 / 2015

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाति कलाल निवासी गुडा चुतरा		1 शांतिदेवी पत्नि ताराराम 2 दिनेश कुमार पुत्र ताराराम 3 मनोज कुमार पुत्र ताराराम 4 बाबुलाल पुत्र मांगीलाल जातिगण कलाल निवासीगण गुडा चुतरा 5 केवलचन्द पुत्र वचनाराम जाति माली (सांखला) निवासी गुडा श्यामा 6 तहसीलदार सोजत भूमिधारक

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.12.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम गुडा चुतरा तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 16 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक .... के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडा चुतरा में अपीलाण्ट के पिता मांगीलाल पुत्र भैराराम की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसके खसरा नमबर 321 रकबा 1.1000 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 401 रकबा 0.4800 हैक्टेयर कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर है। अपीलाण्ट के पिता मांगीलाल के निम्न वारिशान है –

अति० जिला कलक्टर, पाली

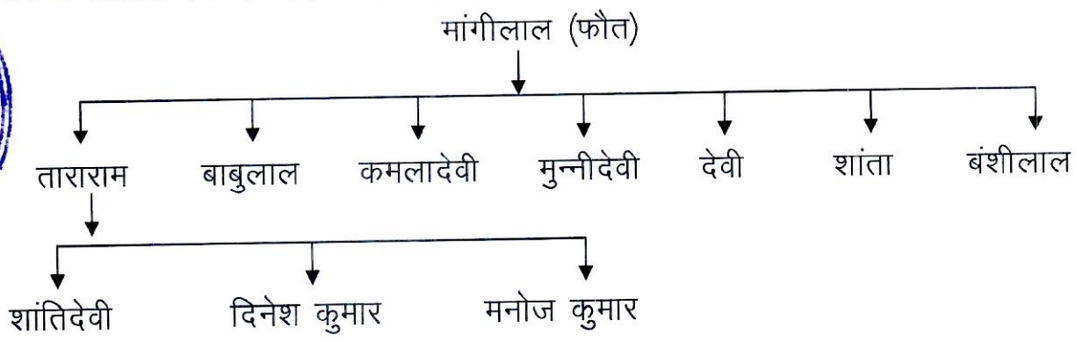

मांगीलाल फौत होने पर जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया, उसमें मात्र ताराराम व बाबुलाल का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि इनके अलावा भी उपरोक्त वंशावली अनुसार मांगीलाल के विधिक वारिशान मौजूद थे, जिन्हे न तो सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही किसी भी रूप में मांगीलाल के विधिक वारिशान की समुचित जांच की गई। अपीलाण्ट मांगीलाल का जायन्दा पुत्र है, जिसका हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने पिता की भूमि में हक हिस्सा निहित है। जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट एवं मांगीलाल के अन्य उत्तराधिकारीयों का नाम नामान्तरकरण में दायर नही किया है, इसके कारण उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। जैर अपील नामान्तरकरण ताराराम व बाबुलाल के नाम दर्ज किया गया है। इनमें से ताराराम फौत हो चुका है तथा उसके पश्चात जरिये नामानतरकरण संख्या 132 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पश्चात नामानतरकरण संख्या 134 के जरिये उक्त भूमि को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गए है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा खसरा नम्बर 401 की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पक्ष में कर दिया है, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 401 की भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम दर्ज हो गई है। इस प्रकार अपीलाण्ट के हक हकूक मूल रूप से जैर अपील नामान्तरकरण से प्रभावित हुए है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा खसरा नम्बर 401 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है तथा कब्जा प्राप्त किया है। विक्रेता राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज थे तथा रेकर्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान किया गया है, जो पंजीबद्ध है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सद्भावी क्रेता है। जैर अपील नामान्तरकरण दायर होने के पश्चात भूमि के राजस्व रेकर्ड में कई बार परिवर्तन हुए है। इस अनुसार यदि जैर अपील नामान्तरकरण अपास्त किया जाता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। इस कारण अपीलाण्ट को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु समक्ष न्यायालय में चाराजोही की जाना ही समुचित उपचार है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार मांगीलाल के फौत होने पर उसके ताराराम, बाबुलाल पि0 मांगीलाल के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को मांगीलाल का पुत्र होकर जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने स्वयं को सद्भावी क्रेता होना जाहिर किया। इसके अतिरिक्त जैर अपील नामान्तरकरण का भी अवलोकन किया जाता है, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है कि मांगीलाल खसरा नम्बर 321 व 401 का खातेदार था, किन्तु मांगीलाल फौत होने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह खसरा नम्बर 321 व 420 का दायर किया गया है, जिसमें से खसरा नम्बर 420 की भूमि तो मांगीलाल की थी ही नहीं। इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 132 ताराराम फौत होने पर उसके विधिक वारिशान के नाम दायर किया गया, उस नामान्तरकरण में खसरा नमबर 321 व 401 अंकित है। जब ताराराम के नाम खसरा नम्बर 401 की भूमि का नामान्तरकरण ही दायर नही किया गया, तो उसके फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें खसरा नम्बर 401 की प्रविष्ठि किस आधार पर की गई ? इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण दायर करने से लेकर स्वीकृत करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे न्यायोचित नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मांगीलाल के समस्त विधिक वारिशान की जांच की जाकर विधिनुरूप वास्तविक भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम गुडा चुतरा के नामान्तरकरण संख्या 16 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक ..... को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मांगीलाल के समस्त विधिक वारिशान की जांच कर, भूमि के सम्बन्ध में पुराने रेकर्ड अनुसार जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली